International Journal of Academic Excellence and Research (IJAER)
ISSN: 3107-3913(Online)
Vol. 01, No. 04, October-December, 2025, pp 57-67
© Copyright by MGM Publishing House (MGMPH)
www.mgmpublications.com

डिजिटल युग के साइबर अपराध और किशोर न्याय अधिनियमः सूचना प्रौद्योगिकी कानून और किशोर न्याय का अंतःविषय अध्ययन

डॉ. रूपाली जैन श्रीवास्तव[1] | सुलेखा चौरसिया[2*] | डॉ. मनविंदर सिंह पाहवा[3]

[1]विधि विभाग, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश।
[2]शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश।
[3]आचार्य, वाणिज्य विभाग, डॉ हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्यप्रदेश।

*Corresponding author: sulekharesearchscholar1@gmail.com

Citation: श्रीवास्तवरूपाली, चौरसियासुलेखा, & पाहवामनविंदर. (2025). डिजिटल युग के साइबर अपराध और किशोर न्याय अधिनियमः सूचना प्रौद्योगिकी कानून और किशोर न्याय का अंतःविषय अध्ययन. International Journal of Academic Excellence and Research, 01(04), 57–67. https://doi.org/10.62823/ijaer/2025/01/04.124

सारः *यह अध्ययन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के वास्तविक कार्यान्वयन और समन्वय को मध्य प्रदेश राज्य में बढ़ते किशोर साइबर अपराधों की पृष्ठभूमि में विश्लेषित करता है (गोयत, 2025 शर्मा – देसाई, 2023)। डिजिटल युग में मोबाइल और इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता के कारण किशोरों द्वारा किए जाने वाले साइबर अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिनमें सोशल मीडिया आधारित अपराध, ऑनलाइन उत्पीड़न, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डेटा चोरी शामिल हैं (यादव, 2025 यूरोपोल, 2024)। ऐसे में, पुनर्वासात्मक न्याय और दंडात्मक कार्रवाई के बीच संतुलन बनाने की चुनौती विधिक ढाँचा के सामने है (शर्मा – मल्होत्रा, 2023)। अध्ययन में प्रारंभिक डेटा के लिए अर्ध–संरचित साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से 247 लोगों (पुलिस अधिकारी, साइबर विशेषज्ञ, वकील तथा गैर–सरकारी संगठन के प्रतिनिधि) से बातचीत की गई। डेटा के गुणात्मक विश्लेषण और मात्रात्मक विश्लेषण में $\chi 2$ परीक्षण, टी–टेस्ट और सहसंबंध विश्लेषण का उपयोग किया गया (कुमार, मिश्रा – पटेल, 2023)। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रति पुलिस अधिकारियों की जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक थी, और प्रशिक्षित अधिकारियों की मामलों के समाधान में अधिक क्षमता पाई गई। न्याय प्रक्रिया को सुचारु रूप से चलाने में ग्रामीण क्षेत्रों में फोरेंसिक उपकरणों की कमी और तकनीकी विशेषज्ञों की कमी बाधा बन रही है। इसके अलावा, दोनों कानूनों में कानूनी अस्पष्टताओं के कारण दंड निर्धारण में कठिनाई और मामलों के निपटान में देरी हुई। अध्ययन कहता है कि किशोर साइबर अपराधों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए कानूनों में बदलाव, तकनीकी प्रशिक्षण, फोरेंसिक अवसंरचना का विस्तार और पुनर्वास आधारित डिजिटल परामर्श कार्यक्रमों की जरूरत है।*

Article History:
Received: 27 October, 2025
Accepted: 20 November, 2025
Published: 30 November, 2025

शब्दकोशः
किशोर साइबर अपराध, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, किशोर न्याय अधिनियम 2015, डिजिटल अपराध, डिजिटल अपराध विज्ञान।

प्रस्तावना

डिजिटल प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के प्रसार ने किशोरों के जीवन को न केवल सुगम और सुविधाजनक बनाया है, बल्कि उनके सामने नए प्रकार के जोखिम और चुनौतियाँ भी प्रस्तुत की हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में किशोरों द्वारा किए जाने वाले साइबर अपराधों की घटनाओं में हाल के वर्षों में वृद्धि हुई है। ये अपराध साइबर उत्पीड़न, ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, बाल कामोद्दीपक चलचित्र और सोशल मीडिया के

* *Copyright © 2025 by Author's and Licensed by MGM Publishing House. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work properly cited.*

माध्यम से होने वाले अन्य अपराधों के रूप में सामने आते हैं। ऐसे अपराध न केवल पीड़ितों के मानसिक और सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि न्यायिक और कानूनी तंत्र के सामने भी गंभीर चुनौतियाँ पेश करते हैं। भारत में किशोर साइबर अपराधों से निपटने के लिए दो प्रमुख कानून लागू हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 66 तथा धारा 67) साइबर अपराधों के दंडात्मक निवारण पर केंद्रित है, जबकि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (धारा 15 से धारा 21)पुनर्वास और सुधारात्मक न्याय पर जोर देता है (भास्कर, 2015 – गुप्ता, 2023)। इन अधिनियमों की प्राथमिकताओं में अंतर और उनके कार्यान्वयन में समन्वय की कमी के कारण किशोर साइबर अपराध मामलों में प्रक्रियागत विलंब, कानूनी असंगतियाँ और दोषसिद्धि में चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

यह अध्ययन विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में उत्पन्न अंतरालों और व्यावहारिक चुनौतियों का विश्लेषण करता है, जिसमें राज्य स्तर पर अनुभवजन्य शोध की कमी को संबोधित किया गया है (श्रीवास्तव – चक्रवर्ती, 2023 कपूर – सिंह, 2023)। अध्ययन के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के बीच संस्थागत स्तर पर व्यावहारिक टकराव है। इसके अलावा, फोरेंसिक अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षण की कमी और कानूनी समन्वय से संबंधित कम जागरूकता भी बड़ी बाधाएँ हैं। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय स्तर पर दोषसिद्धि चुनौतियों की पुष्टि करते हैं, साथ ही पीड़ितों और अपराधियों दोनों के व्यापक सामाजिक–डिजिटल गतिशीलता की बाधाएँ भी विश्लेषण करता है ।

यह अध्ययन बताता है कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 में साइबर अपराध से संबंधित एक अलग अध्याय, विशेष साइबर अपराध और लैंगिक अपराधों से बाल संरक्षण (पॉक्सो) न्यायालयों की स्थापना, और नैतिक हैकिंग पर आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों का निर्माण डिजिटल न्याय प्रणाली के समन्वय और सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस अध्ययन द्वारा प्रस्तुत अनुभवजन्य साक्ष्य, मध्य प्रदेश राज्य के हितधारक दृ ष्टिकोण पर आधारित हैं, भारतीय संदर्भ में साइबर अपराध के क्षेत्र में नीतिगत एवं विधिक सुधारों की दिशा बताते है।

अंततः, यह शोध मध्य प्रदेश में न्यायिक सुधार, नीतिगत हस्तक्षेप और किशोर साइबर अपराधों के प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यावहारिक और ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करता है, जिससे न केवल दोषसिद्धि दर में सुधार होगा, बल्कि किशोर अपराधियों के पुनर्वास और समाज में उनके समुचित समावेशन की दिशा भी सुदृढ़ होगी (नायर – मेनन, 2023 कृष्णन – नायर, 2023)।

साहित्य समीक्षा

- **गोयत (2025)** ने मध्य प्रदेश में डिजिटल अपराध और आर्थिक नुकसान का विश्लेषण किया। 2020–2024 में कुल 1,054 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और केवल 27 प्रतिशत मामले समाधान पाए। उन्होंने 50 विशेष साइबर और बाल संरक्षण अदालतों की स्थापना की सिफारिश की।
- **चौधरी (2025)** ने भारत और यूरोपीय संघ के बाल सुरक्षा कानूनों की तुलना की। पाया गया कि भारत तीन वर्ष पीछे है और माता–पिता की सहमति समन्वयन की आवश्यकता है।
- **यादव (2025)** ने धारा 66 के निरसन के बाद स्कूलों में साइबरबुलिंग अभियोगों की प्रवर्तन क्षमता का अध्ययन किया। 45 प्रतिशत मामलों में अभियोग नहीं चल सके।
- **राहुल (2025)** ने सोशल मीडिया उपयोग और किशोर साइबर अपराध के प्रकार के बीच संबंध का विश्लेषण किया। 40 प्रतिशत अपराध मीडिया से जुड़े थे।
- **शर्मा (2024)** ने महिला और बाल पीड़ितों में साइबर हिंसा के पैटर्न का अध्ययन किया। 72 प्रतिशत मामले इंटरनेट के माध्यम से हुए।

- **मौइत्रा (2024)** ने महामारी के दौरान बच्चों के ऑनलाइन जोखिम का अध्ययन किया। स्क्रीन टाइम 400 प्रतिशत बढ़ा, जबकि अभिभावक पर्यवेक्षण से 73 प्रतिशत जोखिम कम हुआ।
- **मरवाहा (2024)** ने सामाजिक–आर्थिक कारकों के आधार पर डिजिटल जोखिम का अध्ययन किया। माता–पिता की डिजिटल साक्षरता जोखिम को 65 प्रतिशत तक कम करती है।
- **यूरोपोल (2024)** ने सोशल मीडिया के माध्यम से किशोरों की साइबर अपराध में प्रवेश के रास्तों का अध्ययन किया। 2,300 मामलों में 40 प्रतिशत मामलों में उच्चारण आधारित का प्रभाव पाया गया।
- **शर्मा और देसाई (2023)** ने भारत में किशोरों से संबंधित साइबर अपराधों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बीच समन्वय की कमी की पहचान की। उनके विश्लेषण में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के न्यायालयों के 50 मामलों का मूल्यांकन किया गया और 71 प्रतिशत विधिक असंगतियाँ पाई गईं। उन्होंने किशोर न्याय अधिनियम में साइबर अध्याय जोड़ने और विशेष बाल संरक्षण और साइबर अपराध अदालतों की स्थापना की सिफारिश की।
- **कुमार, मिश्रा और पटेल (2023)** ने किशोर साइबर अपराधियों की प्रेरणा प्रोफाइल का अध्ययन किया। 180 किशोर अपराधियों का सर्वेक्षण किया गया। निष्कर्ष में पाया गया कि 62 प्रतिशत मामलों में सहकर्मी दबाव और 45 प्रतिशत में रोमांचकारी गतिविधियाँ प्रमुख कारण थीं। उन्होंने नैतिक हैकिंग प्रमाणपत्र कार्यक्रमों के माध्यम से पुनर्वास में 67 प्रतिशत सुधार सुझाया।
- **देसाई और शर्मा (2023)** ने भारतीय नाबालिगों में साइबर पोर्नोग्राफी पीड़ितों के प्रोफाइल का विश्लेषण किया। 92 पीड़ितों के साक्षात्कार और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के आधार पर पाया गया कि 64.1 प्रतिशत मामले बाल पोर्नोग्राफी संबंधित थे और 97 प्रतिशत पीड़ित लड़कियाँ थीं। उन्होंने स्कूल–आधारित जागरूकता कार्यक्रमों से जोखिम को 40 प्रतिशत तक कम करने का सुझाव दिया।
- **गोयल (2023)** ने किशोर साइबर अपराध में नैतिक विमुखता के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का अध्ययन किया। 245 किशोरों पर सर्वेक्षण किया गया, जिससे पता चला कि 78 प्रतिशत ने डिजिटल अपराधों में नुकसान को अनदेखा किया। मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप कार्यक्रमों से 55 प्रतिशत में दृष्टिकोण में सुधार हुआ।
- **प्रभाकर और गुप्ता (2023)** ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डीपफेक खतरों के संदर्भ में मूल्यांकन किया। अध्ययन में पाया गया कि धारा 67 बी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से उत्पन्न बाल पोर्नोग्राफी के लिए अप्रचलित है और मशीन लर्निंग आधारित पहचान अनिवार्य करने की सिफारिश की गई।
- **नायर और मेनन (2023)** ने भारत में फोरेंसिक लैब संरचना की क्षमता का मूल्यांकन किया। 150 पुलिस स्टेशनों का निरीक्षण किया गया। 42 प्रतिशत स्टेशनों में पर्याप्त सुविधाएँ पाई गईं। श्रृंखला–देखभाल की कमी के कारण दोषसिद्धि की दर 3 प्रतिशत से कम रही।
- **श्रीवास्तव और चक्रवर्ती (2023)** ने किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 15 से 21 के डिजिटल मामलों में लागू होने की समीक्षा की। 120 न्यायालयीन मामलों और 45 हितधारकों की डेल्फी सर्वेक्षण के अनुसार 59 प्रतिशत मामले साक्ष्य संबंधी विलंब से प्रभावित हुए।
- **भाट और कृष्णन (2023)** ने किशोर न्याय बोर्डों की डिजिटल क्षमता का अध्ययन किया। 78 बोर्डों का सर्वेक्षण किया गया। 78 प्रतिशत बोर्डों में केस प्रबंधन सॉफ्टवेयर की कमी पाई गई।

- **वर्मा, सिंह और मिश्रा (2023)** ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंतरराज्यीय साइबर अपराध के न्यायक्षेत्र की समस्याओं का विश्लेषण किया। 200 मामलों और 65 पुलिस इंटरव्यू के आधार पर पाया गया कि 64 प्रतिशत मामले न्यायक्षेत्र की असंगति से खारिज हुए।
- **सक्सेना और अय्यर (2023)** ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के फोरेंसिक और बाल संरक्षण प्रोटोकॉल में साक्ष्य–संबंधी संघर्षों का अध्ययन किया। 30 परीक्षण के अनुसार 54 प्रतिशत विलंब का कारण प्रोटोकॉल असंगति था।
- **शर्मा और मल्होत्रा (2023)** ने किशोर साइबर अपराध मामलों में पीड़ित और अपराधी की द्वैत भूमिका का अध्ययन किया। 120 मामलों के अध्ययन में पाया गया कि 58 प्रतिशत किशोर दोनों भूमिका निभा रहे थे।
- **कुमार और पाटिल (2023)** ने नैतिक हैकिंग पुनर्वास कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। 85 अपराधियों के बीच प्री–पोस्ट परीक्षण में पुनरावृत्ति में 71 प्रतिशत कमी देखी गई।
- **कपूर और सिंह (2023)** ने पुलिस और न्यायपालिका के समन्वय असफलताओं का अध्ययन किया। 71 प्रतिशत मामलों में विधिक भ्रम पाया गयाय संयुक्त प्रशिक्षण से केस प्रवाह में 48 प्रतिशत सुधार हुआ।
- **गोयल, शर्मा और मल्होत्रा (2023)** ने साइबर और पारंपरिक किशोर अपराध के बीच संज्ञानात्मक प्रोफाइल तुलना की। साइबर अपराधियों की तकनीकी बुद्धिमत्ता 25 प्रतिशत अधिक पाई गई।
- **राव, कुमार और देसाई (2023)** ने पुलिस प्रशिक्षण में किशोर–संबंधी अंतर का मूल्यांकन किया। 340 अधिकारियों का विश्लेषण किया गयाय किशोर मॉड्यूल से जाँच क्षमता में 39 प्रतिशत सुधार हुआ।
- **कृष्णन और नायर (2023)** ने शहरी और ग्रामीण फोरेंसिक अंतर का अध्ययन किया। 285 स्टेशनों का GIS मैपिंग किया गया। शहरी–ग्रामीण अंतर 68 प्रतिशत बनाम 18 प्रतिशत पाया गया।
- **भाट और शर्मा (2023)** ने किशोर न्याय बोर्डों में साइबर विशेषज्ञता क्षमता का आकलन किया। 92 बोर्डों में 89 प्रतिशत में विशेषज्ञता की कमी पाई गई।
- **शर्मा और गुप्ता (2023)** ने साइबर अपराध मामलों में पीड़ितों के पुनः आघात का मूल्यांकन किया। 156 पीड़ितों का पीटीएसडी स्क्रीनिंग किया गया।
- **मल्होत्रा और कुमार (2023)** ने बाल पीड़ितों पर लगातार परीक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया। 98 मामलों में 81 प्रतिशत में पीटीएसडी की तीव्रता बढ़ी।
- **विसिंक और सहयोगी (2023)** ने वैश्विक स्तर पर किशोर साइबर अपराध के जोखिम कारकों का मेटा–विश्लेषण किया। 45 अध्ययनों और 12,487 किशोरों का विश्लेषण किया गया। कम आत्म–नियंत्रण ने 72 प्रतिशत अपराध पूर्वानुमान प्रदर्शित किया।
- **संयुक्त राष्ट्र कार्यालय अपराध और न्याय (2023)** ने वैश्विक बाल पोर्नोग्राफी सामग्री के पैमाने और प्रवृत्तियों का अध्ययन किया। पांच वर्षों में 35 प्रतिशत बाल तस्करी की घटनाएँ और 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।
- **शर्मा और कुमार (2023)** ने कोविड–19 महामारी के पहले और बाद किशोर साइबर अपराध में वृद्धि का मूल्यांकन किया। स्कूल बंद होने से शोषण तीन गुना बढ़ा।
- **राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2023)** ने 10,000 स्कूलों में साइबरबुलिंग रोकथाम दिशानिर्देशों के अनुपालन का मूल्यांकन किया। केवल 22 प्रतिशत स्कूलों ने दिशानिर्देश लागू किए।
- **देसाई और शर्मा (2023)** ने पोस्ट–पैंडेमिक डिजिटल युग में किशोर न्याय अधिनियम में साइबर अध्याय जोड़ने का सुझाव दिया।

- **वर्मा और अय्यर (2023)** ने अंतरराज्यीय साइबर अपराध के न्यायक्षेत्र विवाद का अध्ययन किया। 245 निर्णयों की समीक्षा में 58 प्रतिशत मामलों में असंगति पाई गई।
- **अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ (2022)** ने ऑनलाइन यौन शोषण पीड़ित किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य और पीटीएसडी रिकवरी को सात वर्षों तक ट्रैक किया।
- **सुनीथ (2020)** ने भारतीय साइबर पीड़ित और अपराधियों के संबंधों का सामाजिक विश्लेषण किया। 97 प्रतिशत अपराधी पीड़ितों को जानते थे।
- **श्रीहरी और सहयोगी (2018)** ने भारतीय युवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की जागरूकता की कमी का अध्ययन किया। 55 प्रतिशत विद्यार्थी जागरूक नहीं थे।
- **वर्मा और सहयोगी (2017)** ने भारतीय किशोरों में फिशिंग के खतरे का अध्ययन किया। दो–कारक प्रमाणीकरण से सफलता दर 81 प्रतिशत रही।
- **चौधरी (2019)** ने स्कूल आधारित ऑनलाइन प्रलोभन अभियोगों का विश्लेषण किया। 45 दिल्ली उच्च न्यायालय मामलों में 82 प्रतिशत मामलों में डिजिटल फोरेंसिक उपयोग से दोषसिद्धि दो गुना हुई।
- **भास्कर (2015**) ने श्रेया सिंघल बनाम संघ मामले में धारा 66 के प्रभाव का विश्लेषण किया।
- **सिंह (2015)** ने धारा 66 के प्रवर्तन की प्रारंभिक प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया। 68 प्रतिशत मामलों में सफलता दर रही।

शोध अंतर

हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में किशोर साइबर अपराध और संबंधित कानूनी ढाँचे पर पर्याप्त शोध उपलब्ध है, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में अनुभवजन्य डेटा की कमी है (राहुल, 2025 शर्मा – मल्होत्रा, 2023)। विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बीच समन्वय, पुलिस और न्यायपालिका की तकनीकी क्षमता, किशोर अपराधियों का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रोफाइल, और साक्ष्य–आधारित सुधार रणनीतियों के राज्य–विशेष मूल्यांकन में अंतराल है। इसके कारण प्रभावी कानूनी क्रियान्वयन और पुनर्वास मॉडल विकसित करना चुनौतीपूर्ण है। इसलिए, यह शोध मध्य प्रदेश के हितधारकों के अनुभवजन्य डेटा के माध्यम से कानूनी समन्वय, संस्थागत क्षमता, जागरूकता और सुधार आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से संबोधित करेगा (कुमार – पाटिल, 2023 कपूर – सिंह, 2023)।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश राज्य में किशोरों द्वारा किए जाने वाले साइबर अपराधों के संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, 2015 के क्रियान्वयन, समन्वय तथा व्यावहारिक प्रभावशीलता का परीक्षण करना है। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों को निम्न प्रकार से निरूपित किया जा सकता है –

- मध्य प्रदेश में किशोर साइबर अपराधों के प्रकार और प्रवृत्तियों की पहचान करना।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 से संबंधित कानूनी और संस्थागत प्रावधानों के क्रियान्वयन अंतरालों का परीक्षण करना।
- पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, न्यायपालिका तथा गैर–सरकारी संगठनों सहित विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण, अनुभव और चुनौतियों का विश्लेषण करना।
- साइबर अपराध प्रकरणों में दंडात्मक तथा पुनर्वासात्मक न्याय के बीच विद्यमान कानूनी असंगतियों और समन्वय की कमी को समझना।

- किशोर साइबर अपराधों के प्रभावी निपटान के लिए आवश्यक फोरेंसिक अवसंरचना, तकनीकी दक्षताओं, कानूनी प्रशिक्षण और संस्थागत क्षमताओं की स्थिति का मूल्यांकन करना।

मध्य प्रदेश के संदर्भ में ऐसे सुधारात्मक, नीतिगत एवं संस्थागत उपाय सुझाना जो दंडात्मक और पुनर्वासात्मक दोनों दृष्टिकोणों को संतुलित करते हुए न्याय प्रणाली की प्रभावशीलता को बढ़ा सकें।

अनुसंधान प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित प्रमुख अनुसंधान प्रश्न निर्धारित किए गए हैं –

- मध्य प्रदेश में किशोरों द्वारा किए जाने वाले साइबर अपराधों के प्रमुख प्रकार, प्रवृत्तियाँ और प्रभावकारी सामाजिक–मनोवैज्ञानिक कारक कौन–कौन से हैं?
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किशोर साइबर अपराधों के प्रकरणों का निपटान वर्तमान में किस प्रकार किया जा रहा है?
- इन दोनों अधिनियमों के व्यावहारिक क्रियान्वयन में क्या प्रमुख विधिक, संस्थागत तथा तकनीकी चुनौतियाँ उत्पन्न हो रही हैं?
- पुलिस, किशोर न्याय बोर्ड, न्यायपालिका तथा गैर–सरकारी संगठनों सहित संबंधित हितधारक किशोर साइबर अपराध प्रकरणों में वर्तमान कानूनी ढाँचे की प्रभावशीलता को किस प्रकार अनुभव करते हैं?
- क्या दंडात्मक न्याय (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000) और पुनर्वासात्मक न्याय (किशोर न्याय अधिनियम, 2015) के दृष्टिकोण में विद्यमान असंगतियाँ निर्णय–प्रक्रिया या दोषसिद्धि दर को प्रभावित करती हैं?
- किशोर साइबर अपराधों के प्रभावी समाधान के लिए कौन–से नीतिगत, संस्थागत, प्रशिक्षण तथा अवसंरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं?

परिकल्पनाएँ

H_1: पुलिस अधिकारियों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रति जागरूकता किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से अधिक होगी।

H_2: शहरी पुलिस स्टेशनों में साइबर फोरेंसिक सुविधाएँ ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में सांख्यिकीय रूप से बेहतर होंगी।

H_3: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बीच असंगतियाँ हितधारकों द्वारा सबसे प्रमुख कार्यान्वयन बाधा के रूप में पहचानी जाएँगी।

H_4: किशोर साइबर अपराध प्रशिक्षण और प्रकरण समाधान की प्रभावशीलता के बीच सकारात्मक सहसंबंध होगा

H_5: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच असंगतियाँ दोषसिद्धि दर की धारणा पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी

H_6: विशेष साइबर पॉक्सो अदालतों और नैतिक हैकिंग आधारित पुनर्वास कार्यक्रमों की प्राथमिकता सभी हितधारक समूहों में समान रूप से उच्च होगी।

अनुसंधान पद्धति

- **शोध डिजाइन** – यह अध्ययन मिश्रित–पद्धति अनुभवजन्य डिजाइन पर आधारित है, जिसमें मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं। मात्रात्मक भाग में हितधारकों के सर्वेक्षण के माध्यम से जागरूकता, प्रशिक्षण, फोरेंसिक क्षमता और सुधार प्राथमिकताओं का मूल्यांकन किया गया। गुणात्मक

भाग में अर्ध–संरचित साक्षात्कार और विषयगत विश्लेषण के माध्यम से कानूनी समन्वय, कार्यान्वयन बाधाओं और हितधारक दृष्टिकोण की गहन समझ प्राप्त की गई।

- **जनसंख्या और नमूना चयन** – अध्ययन की जनसंख्या मध्य प्रदेश राज्य के किशोर साइबर अपराध से संबंधित मुख्य हितधारक समूह हैं। नमूना चयन उद्देश्यपूर्ण पद्धति द्वारा किया गया, जिसमें कुल 247 प्रतिभागी शामिल हैं। यह नमूना पुलिस अधिकारियों, साइबर अपराध विशेषज्ञों, वकीलों और गैर–सरकारी संगठन प्रतिनिधियों से लिया गया।
- **नमूना विवरण** – नमूने में शामिल प्रतिभागियों का विवरण इस प्रकार हैरू पुलिस अधिकारी , साइबर अपराध विशेषज्ञ व तकनीकी अधिकारी, वकीलध्अधिवक्ता, न्यायपालिका के अधिकारी (विशेष न्यायिक सलाहकार), और गैर–सरकारी संगठन प्रतिनिधि ।
- **डेटा संग्रह उपकरण** – डेटा संग्रह के लिए दो प्रमुख उपकरणों का उपयोग किया गया। पहला, संरचित प्रश्नावली, जिसमें 35 आइटम शामिल थे और ये 5–पॉइंट लिकर्ट स्केल आधारित थे। दूसरा, अर्ध–संरचित साक्षात्कार, जिनमें प्रतिभागियों से गहन साक्षात्कार लिए गए और उनका उद्देश्य कानूनी समन्वय, कार्यान्वयन बाधा और सुधार प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना था।
- **डेटा संग्रह प्रक्रिया** – डेटा संग्रह प्रक्रिया में प्रतिभागियों से पूर्व अनुमति और गोपनीयता आश्वासन लिया गया। प्रश्नावली व्यक्तिगत और ऑनलाइन माध्यम दोनों में वितरित की गई। अर्ध–संरचित साक्षात्कार प्रत्यक्ष और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आयोजित किए गए।
- **डेटा विश्लेषण तकनीक** – मात्रात्मक डेटा का विश्लेषण χ टेस्ट, टी–टेस्ट, पियर्सन सहसंबंध, बहु–रिग्रेशन और एक–तरफा विविधता विश्लेषण के माध्यम से किया गया। इसका उद्देश्य जागरूकता, प्रशिक्षण प्रभाव, फोरेंसिक क्षमता और सुधार प्राथमिकताओं के बीच संबंधों का परीक्षण करना था। गुणात्मक डेटा का विश्लेषण गुणात्मक और मिश्रित–पद्धति डेटा विश्लेषण सॉफ्टवेयर द्वारा विषयगत कोडिंग और विश्लेषण के माध्यम से किया गया, जिससे कानूनी समन्वय अंतराल, कार्यान्वयन बाधाएँ और हितधारक दृष्टिकोण स्पष्ट हुए।
- **नैतिक विचार** – शोध में सभी प्रतिभागियों से सूचित सहमति प्राप्त की गई। प्रतिभागियों की पहचान और डेटा को पूरी तरह गोपनीय रखा गया। इसके साथ ही अध्ययन में सभी आवश्यक नैतिक दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया।

डेटा विश्लेषण और परिणाम

- **कानूनी जागरूकता और प्रशिक्षण प्रभाव** – मात्रात्मक डेटा से यह स्पष्ट हुआ कि पुलिस अधिकारियों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की जागरूकता वकीलों और अधिवक्ताओं की तुलना में अधिक थी (χ परीक्षण, $p < 0.05$)। पियर्सन सहसंबंध विश्लेषण ने यह भी दर्शाया कि किशोर साइबर अपराध प्रशिक्षण और प्रकरण समाधान की धारित प्रभावशीलता के बीच सकारात्मक संबंध मौजूद था ($r = 0.46$, $p < 0.01$)।
- **गुणात्मक डेटा** – इस परिणाम का समर्थन करता है। मिश्रित–पद्धति डेटा विश्लेषण से यह पाया गया कि प्रशिक्षित हितधारक अधिक आत्मविश्वासी और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम हैं, जबकि प्रशिक्षणहीन हितधारक कानूनी प्रावधानों के प्रयोग में असमर्थता दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त, सभी हितधारक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के महत्व पर सहमत थे, जिसे उन्होंने केस समाधान की दक्षता बढ़ाने के लिए आवश्यक बताया।
- **फोरेंसिक क्षमता और कानूनी समन्वय अंतराल**–टी–टेस्ट विश्लेषण से पता चला कि शहरी पुलिस स्टेशनों में साइबर फोरेंसिक सुविधाएँ ग्रामीण पुलिस स्टेशनों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से बेहतर हैं

($p < 0.05$)। बहु–रिग्रेशन विश्लेषण ने यह दर्शाया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच असंगतियाँ दोषसिद्धि दर की धारित संभावना पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।

- गुणात्मक विश्लेषण में भी यही पैटर्न उभर कर आया। हितधारकों ने बताया कि फोरेंसिक अवसंरचना की कमी, प्रशिक्षित विशेषज्ञों की अनुपस्थिति और कानूनी असंगतियाँ केस निपटान में देरी का मुख्य कारण हैं। पुलिस अधिकारी और वकील/अधिवक्ता दोनों ने असंगतियों और संस्थागत सीमाओं के कारण कानूनी प्रक्रिया में बाधाएँ महसूस की।
- **सुधार प्राथमिकताएँ और हितधारक दृष्टिकोण** – एक–तरफा विविधता विश्लेषण परीक्षण से यह पाया गया कि सभी हितधारक समूहों (पुलिस, वकील/अधिवक्ता, एनजीओ) में साइबर–विशिष्ट अदालतों और नैतिक हैकिंग पुनर्वास कार्यक्रमों की प्राथमिकता समान रूप से उच्च थी ($F = 5.32, p < 0.05$)।

गुणात्मक डेटा से यह पुष्टि हुई कि हितधारक सुधारों को अत्यंत आवश्यक मानते हैं। विशेष रूप से, पुलिस अधिकारी त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए साइबर अदालतों की आवश्यकता बताते हैं, जबकि वकीलध्अधिवक्ता और एनजीओ बच्चों के पुनर्वास और नैतिक हैकिंग प्रशिक्षण पर जोर देते हैं। सभी ने यह साझा किया कि ये सुधार कार्यान्वयन दक्षता और न्यायिक परिणामों को बेहतर बनाने में सहायक होंगे।

प्रमुख निष्कर्ष

- **कानूनी जागरूकताः** पुलिस अधिकारियों में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की जागरूकता वकीलों और अन्य हितधारकों की तुलना में अधिक पाई गई। प्रशिक्षण प्राप्त हितधारकों में जागरूकता और प्रकरण समाधान की क्षमता दोनों में सुधार देखा गया।
- **साइबर फोरेंसिक क्षमताः** शहरी पुलिस स्टेशनों में साइबर फोरेंसिक अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और प्रशिक्षण की कमी प्रमुख चुनौती है।
- **कानूनी समन्वय अंतरालः** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच असंगतियाँ सबसे बड़ी कार्यान्वयन बाधा हैं। यह कानूनी प्रक्रिया में देरी और दोषसिद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- **प्रशिक्षण प्रभावः** प्रशिक्षण प्राप्त हितधारकों की प्रकरण समाधान क्षमता प्रशिक्षण रहित हितधारकों की तुलना में अधिक प्रभावी पाई गई। प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का सकारात्मक संबंध स्पष्ट है।
- **सुधार प्राथमिकताएँः** सभी हितधारक समूह (पुलिस, वकील/अधिवक्ता, एनजीओ) साइबर–विशिष्ट अदालतों और नैतिक हैकिंग पुनर्वास कार्यक्रमों को समान रूप से उच्च प्राथमिकता देते हैं।
- **संस्थागत और संसाधन अंतरः** प्रशिक्षण, फोरेंसिक सुविधाओं और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी कार्यान्वयन दक्षता को प्रभावित करती है, जिससे न्यायिक निपटान और दोषसिद्धि में बाधाएँ आती हैं।

विचार–विमर्श

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में किशोर साइबर अपराधों के निवारण में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन में कई अंतराल हैं। डेटा विश्लेषण से निम्न प्रमुख बिंदु सामने आए

- **कानूनी जागरूकता और प्रशिक्षणः** पुलिस अधिकारियों में अधिनियमों की जागरूकता अन्य हितधारकों की तुलना में अधिक पाई गई। प्रशिक्षण प्राप्त हितधारक प्रकरणों के समाधान में अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी थे। यह दर्शाता है कि प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का सकारात्मक प्रभाव केस समाधान की दक्षता पर पड़ता है।

- **फोरेंसिक संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञताः** शहरी पुलिस स्टेशनों में साइबर फोरेंसिक अवसंरचना और तकनीकी विशेषज्ञता ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बेहतर थी। ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की कमी न्यायिक प्रक्रिया में देरी और दोषसिद्धि दर में कमी का मुख्य कारण है।
- **कानूनी समन्वय अंतरालः** सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच असंगतियाँ प्रमुख कार्यान्वयन बाधा हैं। यह कानूनी प्रक्रिया में विलंब और दोषसिद्धि दर पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं।
- **सुधार प्राथमिकताएँः** सभी हितधारक समूह (पुलिस, वकीलध्अधिवक्ता, एनजीओ) ने साइबर–विशिष्ट अदालतों और नैतिक हैकिंग पुनर्वास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी। यह संकेत करता है कि विशेष अदालतें और प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यायिक परिणामों और किशोर पुनर्वास दोनों के लिए आवश्यक हैं।

अतः मध्य प्रदेश में न्यायिक सुधार और नीतिगत हस्तक्षेपों के लिए साइबर अध्याय, विशेष अदालतें, प्रशिक्षण कार्यक्रम और संसाधनों का संतुलन अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि मध्य प्रदेश में किशोर साइबर अपराधों का प्रभावी निवारण सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन, कानूनी जागरूकता, प्रशिक्षण, फोरेंसिक संसाधनों और बहु–संस्था समन्वय पर निर्भर करता है। पुलिस अधिकारियों में कानूनी जागरूकता और प्रशिक्षण प्राप्त हितधारकों की प्रकरण समाधान क्षमता अधिक पाई गई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में फोरेंसिक और तकनीकी संसाधनों की कमी न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच असंगतियाँ कार्यान्वयन में देरी और दोषसिद्धि दर में कमी का प्रमुख कारण हैं। सभी हितधारकों ने साइबर–विशिष्ट अदालतों और नैतिक हैकिंग पुनर्वास कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता दी, जो न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता और किशोर अपराधियों के पुनर्वास में सहायक हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष नीति निर्धारकों और न्यायिक संस्थाओं के लिए मार्गदर्शक हैं, जो कानूनी समन्वय, प्रशिक्षण, संसाधन विस्तार और विशेष सुधारों के माध्यम से किशोर साइबर अपराधों के प्रभावी निवारण और न्यायिक सुधार को सुनिश्चित कर सकते हैं (नायर – मेनन, 2023 गोयत, 2025 शर्मा – मल्होत्रा, 2023)।

सिफारिशें

- किशोर न्याय अधिनियम में साइबर अपराधों पर विशेष अध्याय जोड़ा जाए, ताकि इसका व्यावहारिक कार्यान्वयन बेहतर हो सके।
- विशेष साइबर– पॉक्सो अदालतों की स्थापना की जाए, ताकि किशोर साइबर मामलों को जल्दी और प्रभावी ढंग से निपटाया जा सके।
- किशोर अपराधियों के पुनर्वास के लिए नैतिक हैकिंग और डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में फोरेंसिक और तकनीकी विशेषज्ञता का संतुलन सुनिश्चित करें।
- पुलिस अधिकारियों, वकीलों और अन्य हितधारकों को तकनीकी दक्षता और कानूनी जागरूकता बढ़ाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के बीच बहु–संस्था समन्वय बनाया जाए, ताकि कानूनी असंगतियों से प्रक्रियागत बाधाएँ दूर हों।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भाट, ए., एवं शर्मा, वी. (2023). किशोर न्याय बोडर्स्रू साइबर विशेषज्ञता क्षमता का मूल्यांकन. अंतर्राष्ट्रीय किशोर न्याय पत्रिका, 9(10), 44–52.
2. भाट, वी., एवं कृष्णन, एस. (2023). किशोर साइबर मामले प्रबंधन के लिए संस्थागत तकनीकी क्षमता. डिजिटल कानून और नीति पत्रिका, 7(2), 115–130.
3. चौधरी, पी. (2025). बाल डिजिटल सुरक्षा नीतिरू भारत–यूरोपीय संघ तुलनात्मक ढांचा. अंतर्राष्ट्रीय नीति समीक्षा, 12(3), 201–218.
4. देशाई, ए., एवं शर्मा, एन. (2023). डिजिटल अपराध पैटर्नः भारतीय किशोरों में साइबर पोर्नोग्राफी का शिकार. बाल संरक्षण अध्ययन पत्रिका, 15(1), 33–50.
5. देशाई, आर., एवं शर्मा, ए. (2023). पोस्ट–महामारी किशोर न्याय सुधार डिजिटल युग के लिए. भारतीय कानूनी अध्ययन पत्रिका, 18(2), 72–89.
6. यूरोपोल. (2024). किशोरों के साइबर अपराध में प्रवेशः कट्टरपंथीकरण मानचित्रण. यूरोपोल रिपोर्ट.
7. गोयल, एस. (2023). किशोर साइबर अपराध में नैतिक विमुखता तंत्र. किशोर मनोविज्ञान पत्रिका, 11(4), 56–74.
8. गोयल, एस., शर्मा, एन., एवं मल्होत्रा, ए. (2023). साइबर बनाम पारंपरिक किशोर अपराधरू संज्ञानात्मक प्रोफाइलिंग. भारतीय विकासात्मक मनोविज्ञान पत्रिका, 9(3), 88–105.
9. गोयत, आर. (2025). डिजिटल अपराध और किशोर अपराधीरू मध्य प्रदेश केस अध्ययन. भारतीय आपराधिक न्याय पत्रिका, 14(1), 44–52.
10. कपूर, वी., एवं सिंह, आर. (2023). साइबर न्याय वितरण में पुलिस–न्यायपालिका समन्वय विफलताएँ. कानून और शासन समीक्षा, 10(2), 77–94.
11. कुमार, ए., एवं पाटिल, एस. (2023). किशोर साइबर अपराधियों के लिए तकनीकी कौशल पुनर्निर्देशन कार्यक्रम. किशोर पुनर्वास पत्रिका, 8(1), 21–38.
12. कुमार, आर., मिश्रा, एस., एवं पटेल, वी. (2023). किशोरों की साइबर अपराध में भागीदारीरू प्रेरक प्रोफाइल और पुनर्वास मार्ग. भारतीय अपराध विज्ञान पत्रिका, 15(3), 101–119.
13. मल्होत्रा, एस., एवं कुमार, आर. (2023). साइबर मामलों में बार–बार गवाही से द्वितीयक पीड़ित बनना. बाल संरक्षण पत्रिका, 16(2), 44–61.
14. मोइत्रा, एस. (2024). महामारी–जनित बाल ऑनलाइन संवेदनशीलता मैट्रिक्स. बाल विकास और डिजिटल मीडिया पत्रिका, 11(1), 32–50.
15. नायर, एस., एवं मेनन, आर. (2023). भारतीय आपराधिक न्याय में डिजिटल फोरेंसिक अवसंरचना की कमी. भारतीय पुलिस पत्रिका, 12(3), 14–30.
16. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग. (2023). राष्ट्रीय दिशा–निर्देशरू स्कूल साइबरबुलिंग रोकथाम कार्यान्वयन. एनसीपीसीआर रिपोर्ट.
17. प्रभाकर, ए., एवं गुप्ता, आर. (2023). उभरते साइबर खतरे और विधायी अप्रचलनरू सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विश्लेषण. भारतीय साइबर कानून पत्रिका, 9(2), 65–83.
18. राहुल. (2025). साइबर अपराध में किशोरों पर सोशल मीडिया का प्रभाव. डिजिटल व्यवहार पत्रिका, 13(1), 55–70.

19. राव, एस., कुमार, पी., एवं देशाई, एम. (2023). किशोर–संबंधित साइबर अपराध जांच प्रशिक्षणरू पाठ्यक्रम अंतराल. भारतीय पुलिस प्रशिक्षण पत्रिका, 10(4), 88–104.

20. शर्मा, एम., एवं गुप्ता, ए. (2023). साइबर शोषण मामलों में ट्रॉमा–आधारित जांच प्रथाएँ. बाल कल्याण और कानून पत्रिका, 14(2), 33–50.

21. शर्मा, एम., एवं कुमार, ए. (2023). कोविड–19 डिजिटल एक्सपोजर और बाल शोषण में वृद्धि. डिजिटल समाज अध्ययन पत्रिका, 11(4), 72–88.

22. शर्मा, पी. (2024). साइबर हिंसा पीड़ित अध्ययनरू महिलाओं और बच्चों के पैटर्न. अपराध विज्ञान और पीड़ित अध्ययन पत्रिका, 12(1), 44–60.

23. शर्मा, पी., एवं देशाई, आर. (2023). भारत में किशोर साइबर अपराधों के लिए कानूनी अंतरालरू सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाम किशोर न्याय अधिनियम विश्लेषण. भारतीय कानून और प्रौद्योगिकी पत्रिका, 17(3), 101–120.

24. शर्मा, यू., एवं मल्होत्रा, पी. (2023). किशोर साइबर शोषण मामलों में पीड़ित–अपराधी द्वैतता. किशोर न्याय अध्ययन पत्रिका, 16(1), 22–39.

25. सिंह, ए. (2015). धारा 66ए के पूर्व–रद्दीकरण में प्रवर्तन प्रभावशीलता का विश्लेषण. भारतीय कानून समीक्षा, 7(2), 33–50.

26. स्रीहरी, एट अल. (2018). भारतीय युवाओं में साइबर अपराध जागरूकता की कमी. शिक्षा प्रौद्योगिकी पत्रिका, 10(3), 77–94.

27. सुनिथ, ए. (2020). भारतीय साइबर पीड़ित–अपराधी संबंधों में समाजशास्त्रीय पैटर्न. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, 15(2), 45–63.

28. वर्मा, ए., सिंह, एम., एवं मिश्रा, आर. (2023). अंतरराज्यीय साइबर अपराध अधिकार क्षेत्ररू मध्य प्रदेश–उत्तर प्रदेश केस अध्ययन. साइबर कानून पत्रिका, 14(3), 88–105.

29. वर्मा, आर., एवं अय्यर, एम. (2023). अंतरराज्यीय साइबर अपराध न्यायालय स्थल निर्धारण विवाद. कानूनी अध्ययन पत्रिका, 11(2), 101–118.

30. यादव, डी. (2025). धारा 66ए रद्दीकरण के बाद साइबरबुलिंग प्रवर्तन. भारतीय कानूनी सुधार पत्रिका, 9(1), 33–50.

31. भास्कर, आर. (2015). श्रेया सिंघल बनाम भारत संघरू साइबरबुलिंग कानून के प्रभाव. भारतीय संवैधानिक कानून पत्रिका, 6(1), 55–70.

32. चौधरी, पी. (2019). पीओसीएसओ के तहत ऑनलाइन ग्रूमिंग अभियोजनरू केस अध्ययन ढांचा. बाल संरक्षण कानून पत्रिका, 10(2), 44दृ61

❑❑❑